

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 नवम्बर, 2007

संख्या सी० सी० पी०(एन० सी० आर०)/डी० डी० पी०/एफ० टी० डी० (रतिया)/2007/3896.—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 16 मार्च, 2007 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/डी.डी.पी./एफ.टी.डी. (रतिया)/2007/1307, दिनांक 16 मार्च, 2007 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं, जिनके इसमें प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात सरकार, संशोधन के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, आयोजना भवन, सेक्टर-18 चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में संशोधन के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/डी.डी.पी./एफ.टी.डी. (रतिया)/2007/1307, दिनांक 16 मार्च, 2007 में,—

1. “ड्राईंग” शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

“2. प्रारूप विकास योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एफ) 79/2006, दिनांक 14 अगस्त, 2006/9 जनवरी, 2007 तथा पुनरिक्षित ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एफ) 92/2007, दिनांक 15 अक्टूबर, 2007

2. “2021 ई०” अंक तथा शब्द जहां कहीं भी आये के स्थान पर, “2025 ई०” अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
3. “जनसांख्यिकीय” शीर्ष में,—
(क) विद्यमान तालिका-1 के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्;

तालिका -1

जनगणना वर्ष	जनसंख्या (व्यक्तियों में)	दशक में वृद्धि दर
1961	5348	-
1971	7140	+33.50
	13065	+82.98
	20991	+60.66
	31904	+51.99
2011	50000 (प्रक्षेपित)	+56.72
2021	80000 (प्रक्षेपित)	+60.00
2025	114500 (प्रक्षेपित)	+43.13”;

- (ख) तालिका के नीचे विद्यमान पैरा में “110000” अंकों के स्थान पर, “1,145,00” अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
4. (VII) “नियंत्रित क्षेत्र / विकास प्लान घोषित करने की आवश्यकता” शीर्ष में, द्वितीय पैरा में, “1,10,000” अंको तथा चिह्नों के स्थान पर, “1,14,500” अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
5. “भूमि उपयोग का विवरण” शीर्ष के नीचे, “(i) रिहायशी” उपशीर्ष में, “200” अंको के स्थान पर, “250” अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

डी० एस० देसी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 16th November, 2007

No. CCP(NCR)/DDP/FTD/RATIA/2007/3896.—In exercise of the powers conferred by sub-section of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the following draft of a notification in the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/DDP/FTD/RATIA/2007/1307, dated the 16th March, 2007, published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 16th March, 2007, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Director, Town and Country Planning Department, Haryana, Aayojna Bhawan, Sector -18, Chandigarh, from any person in writing in respect of the draft of amendment before the expiry of the period so specified.

DRAFT OF AMENDMENT

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/DDP/FTD/RATIA/2007/1307, dated the 16th March, 2007,

1. under heading "Drawings" for serial number 2 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-
 - (2) Draft Development Plan Drawing No. DTP(F)79/2006, dated the 14th August, 2006⁹ January, 2007 revised on DTP(F)/92/2007, dated the 15th October, 2007;
2. for the figures and letters "2021 AD" wherever occurring, the figures and letters "2025 AD" shall be substituted;
3. in heading "Demography",-
 - (a) for the existing Table 1, the following table shall be substituted, namely:-

"Table 1

"Year	Population	Percentage of increase
1961	5348	-
1971	7140	+33.50
1981	13065	+82.98
1991	20991	+60.66
2001	31904	+51.99
2011	50000 (Projected)	+56.72
2021	80000 (Projected)	+60.00
2025	114500 (Projected)	+43.13";

- (b) in the para, for the figures and signs "1,10,000", the figures and signs "1,14,500" shall be substituted;
4. in heading "Need for declaration of controlled area / development plan", in the second para, for the figures, sign and word "1.10 Lacs", the figures and signs "1,14,500" shall be substituted;
5. under heading "DESCRIPTION OF LAND USES", in sub-heading "(i) RESIDENTIAL", for the figures "200", the figures "250" shall be substituted.

D. S. DHESI.

Commissioner and Secretary to Government, Haryana.
Town and Country Planning Department.